

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

109

पत्रांक.....

पटना, दिनांक.....

5/स० विविध खा०बो० (डा०सर्व०)- 31/2005

प्रेषक,

प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार  
बिहार, पटना।

द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:-

बिहार राज्य अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुनरुद्धार की योजना (तीन वर्ष (2014-15 से 2016-17) तक के लिए अनुमानित कुल ₹44.4507 करोड़ (चौवालिस करोड़, पैंतालिस लाख, सात हजार रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10% रिबेट की योजना की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹14.8307 करोड़ (चौदह करोड़, तेरासी लाख, सात हजार) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं शेष राशि ₹83.07 लाख (तेरासी लाख, सात हजार) की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि राज्यादेश सं० 4672 दिनांक 19.12.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुनरुद्धार योजना हेतु ₹ 44.4507 करोड़ (चौवालिस करोड़, पैंतालिस लाख, सात हजार रुपये) तीन वर्ष यथा (2014-15 से 2016-17 तक) के लिए सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपलब्ध निधि ₹14.00 (चौदह करोड़) विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त राज्यादेश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा शेष राशि ₹83.07 लाख (तेरासी लाख, सात हजार) की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की गयी है।

- उक्त राशि की निकासी बजट शीर्ष :- मुख्य शीर्ष 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00 लघुशीर्ष 105-खादी ग्रामोद्योग, मांग संख्या-23. उप शीर्ष- 0101- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान, विपत्र कोड पी० 2851001050101 राज्य योजना स्कीम कोड- IND-5443 के विषय शीर्ष-3106 सहायक अनुदान -वेतनादि के अलावा मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन के द्वारा उपबंधित राशि से विकलित होगा।
- राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं० 05/स० विविध खा०बो० (डा०सर्व०)-31/2005 के पृ० 170 /टि० दिनांक 28.01.2015 को प्राप्त है।
- वित्त विभाग के परिपत्र सं० 7855 (वि०) 2 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- राज्यादेश सं०- 4672 दिनांक 19.12.2014 में अंकित शेष अन्य शर्तें एवं कंडिकाएँ पूर्ववत रहेगी।

विश्वासभाजन

ह/

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ०प०उ०

108

ज्ञापांक:- 05/स0 विविध खा0बो0 (डा0सर्वे)-31/2005

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

ज्ञापांक:- 05/स0 विविध खा0बो0 (डा0सर्वे)-31/2005

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

ज्ञापांक:- 05/स0 विविध खा0बो0 (डा0सर्वे)-31/2005

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06/02/2015

ज्ञापांक:- 05/स0 विविध खा0बो0 (डा0सर्वे)-31/2005-536

प्रतिलिपि:- आय व्यय शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 (स0) उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों के साथ/प्रशाखा पदाधिकारी-5 (स0) उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Anibal

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

06/02/15

25  
उप उद्योग निदेशक (योजना)  
उद्योग विभाग